भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2441

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित टोल प्लाजा को हटाना

2441. श्री हनुमान बेनीवाल:

श्री नीरज मौर्य:

श्री अमरा राम:

श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर दो टोल प्लाजा संचालित नहीं किए जा सकेंगे, यदि हां, तो ऐसी घोषणा के बाद राजस्थान सहित राज्यवार कितने टोल प्लाजा हटाए गए;

(ख) देश में अभी भी संचालित ऐसे टोल प्लाजा की संख्या कितनी है तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित राज्यवार इन्हें कब तक हटाया जाएगा;

(ग) क्या सरकार उपरोक्त नीति के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर हरिमा और निम्बी जोधा, नागौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-62 पर टंकला और गोगेलाव, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर अखेपुरा से कुड़ी रसीदपुरा तथा उत्तर प्रदेश में फरीदपुर, बरेली से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर फरीदपुर टोल प्लाजा पर संचालित टोल प्लाजा को हटाने की योजना बना रही है, यदि हां, तो इन टोल प्लाजा को कब तक हटाया जाएगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में वानी-वरोरा राज्य राजमार्ग पर साठ किलोमीटर के भीतर दो टोल प्लाजा स्थापित करने का क्या कारण है और इस पर सरकार की क्या भूमिका है तथा सरकार इन दो टोल प्लाजा में से एक को कब तक बंद करेगी; और

(ङ) क्या वानी रेलवे क्रॉसिंग के पास बिना फास्ट टैग सुविधा वाले टोल प्लाजा को बंद किया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा स्थापित किए जाते हैं, जिसमें नियम 8 के उप-नियम (2) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी खंड पर और उसी दिशा में साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य शुल्क प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक उक्त नियमों के परंतुक के तहत लिखित में दर्ज किए

जाने वाले कारणों के माध्यम से अनुमति न दी जाए। इसके अतिरिक्त, बंद प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली के मामले में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी शुल्क प्लाजा स्थापित किए जा सकते हैं।

60 किलोमीटर की दूरी के भीतर शुल्क प्लाजा स्थापित करने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है, जैसे भूमि की उपलब्धता, वन क्षेत्र, यातायात का न्यूनतम डायवर्जन और नगर पालिका की सीमा। हालांकि, ऐसे सभी मामलों में, संबंधित शुल्क प्लाजा की परियोजना प्रभावित लंबाई के आधार पर शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क, इसे परियोजना प्रभावित लंबाई के भीतर इसके विशिष्ट स्थान पर संग्रहण नहीं किया जाता है ।

(ख) और (ग) फरवरी, 2025 तक, राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक ही दिशा में एक दूसरे से 60 किलोमीटर के भीतर कुल 180 शुल्क प्लाजा कार्यरत हैं। 60 किलोमीटर की सीमा के भीतर कार्यरत सभी प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा एनएच शुल्क नियमावली और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय हैं।

इसके अतिरिक्त, मौजूदा एनएच शुल्क नियमावली के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता-शुल्क लगातार संग्रहित किया जाएगा।

(घ) चंद्रपुर जिले में एनएच-930 के डिजाइन चैनेज 318+850 पर स्थित वानी-वरोरा खंड में, शेम्बल शुल्क प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 द्वारा है और यवतमाल जिले में एनएच-930 से अलग महाराष्ट्र राज्यीय राजमार्ग (एमएसएच-6) पर वानी शुल्क प्लाजा महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया गया है।

(ङ) वानी टोल प्लाजा महाराष्ट्र राज्यीय राजमार्ग (एमएसएच-6) के उस खंड पर स्थित है जो महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और महाराष्ट्र राज्य सरकार के टोल शुल्क नियमों द्वारा शासित होता है।

*****